

भारत सरकार,
विकास आयुक्त कार्यालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अंधेरी (पूर्व), मुंबई -400096।
टेलीफोन: 28294770, फ़ैक्स: 28291754

ई-मेल-ddcseepz-mah@nic.in वेबसाइट: www.seepz.gov.in

फाइल सं. सीपज़-सेज़/संपदा/आरक्यू/308/2016-17/00130 दिनांक: 04/01/2018

परिपत्र सं. 20

विषय: सीपज़-सेज़ परिसर में एसडीएफ़ बिल्डिंग 1 से 6 तथा जेम्स तथा ज्वैलरी बिल्डिंग सं 1 से 3 में संरचनात्मक मरम्मत तथा संबंध कार्य तथा वॉटरप्रूफिंग कार्य के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर यह इस कार्यालय के दिनांक 03.03.2017 के परिपत्र सं 27 के क्रम में है। सीपज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा करवाए जा रहे यूनिटों की संरचनात्मक मरम्मत के दौरान सहायक स्टाफ़ द्वारा यह शिकायत की गई है कि कुछ यूनिटों ने अभी तक संरचनात्मक मरम्मत कार्य को पूरा करने के लिए अपने परिसर नहीं सौंपे हैं।

अध्यक्ष, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण ने बार-बार वैंडरों से निर्धारित समय-सीमा अर्थात दिनांक 31.12.2017 तक कार्य पूरा करने को कहा था। अतएव सभी यूनिटों को आवश्यक मरम्मत कार्य के लिए तत्काल अपने परिसर सौंपने/खाली करने हैं अन्यथा प्राधिकरण को ऐसे यूनिटों पर अर्थदण्ड लगाने अथवा उनको बेदखल करके आवश्यक मरम्मत के लिए परिसर को अपने कब्जे में लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

सभी यूनिटों-धारको के लिए यह सामान्य नोटिस है। यदि निर्धारित समय सीमा का पालन न किया जाता है, तो सीपज़-सेज़ प्राधिकरण को आदेश का पालन न करने वाले यूनिटों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

जिन यूनिटों ने इस कार्य में सहयोग करते हुए अपने परिसर सीपज़-सेज़ प्राधिकरण को पहले ही सौंप दिए हैं। वे इस परिपत्र का संज्ञान न लें।

यह अध्यक्ष, सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(महेश यादव)

संपदा प्रबंधक

सीपज़-सेज़ प्राधिकरण

प्रति:

सीपज़-सेज़ में स्थित सभी यूनिट

GOVERNMENT OF INDIA
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.
Tel: 28294770, Fax: 28291754
E-mail: dcseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in

File No. SEEPZ-SEZ/Estate/RQ/308/2016-17/00130

04th January, 2018

Circular No. 20

Sub: Structural Repairs and allied civil work and water proofing of SDF Bldg. 1 to 6 and Gems & Jewellery Bldg. no. 1 to 3 in the premises of SEEPZ-SEZ premises reg...

This is in continuation of this Office Circular No. 27 dated 03.03.2017 on the above mentioned subject. While the structural repairs of units is being undertaken by SEEPZ-SEZ Authority, it is reported by the support staff that some of the units have not handed over the premises for completing the structural repair work.

The Chairperson, SEEPZ-SEZ Authority has time and again asked the vendors to stick to the timeline given to them i.e. 31.12.2017. Therefore, the units are required to immediately handover/vacate the premises for necessary urgent work otherwise Authority will be constrained to levy due penalty and/or Evict the units and take over the premise for necessary work.

This is a common notice to all the unit holders and if the timeline is not adhered to, the SEEPZ-SEZ Authority will be forced to take co-ercive action against the non-abiding units.

Those units who have co-operated and handed over the premises belonging to them to SEEPZ-SEZ Authority already, may ignore this Circular.

This issues with the Approval of the Chairperson, SEEPZ-SEZ Authority.



(Mahesh Yadav)
Estate Manager
SEEPZ-SEZ Authority.

To

All Units in SEEPZ SEZ.

O/C.